

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदया, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य-सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पेपर सदन के पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 1 मार्च, 2014 की उद्घोषणा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 132 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 1 मार्च, 2014 के आदेश, जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 133 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 03/16/14]

(2) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के 20 फरवरी, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण में)।

[Placed in Library. See No. LT 04/16/14]

(3) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 28 अप्रैल, 2014 की उद्घोषणा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 28 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 298 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 28 अप्रैल, 2014 के आदेश, जो 28 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 299 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 05/16/14]

(4) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के 15 अप्रैल, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण में)।

[Placed in Library. See No. LT 06/16/14]

(5) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में नियत दिन अर्थात् 2 जून, 2014 को नई सरकार के गठन को सुकर बनाने के लिए उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 1 जून, 2014 की उद्घोषणा तथा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 2014 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का आंशिक रूप से प्रतिसंहरण किया गया है तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 1 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 373 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 07/16/14]

(6) आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के 25 मई, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण में)।

[Placed in Library. See No. LT 08/16/14]

...(Interruptions)

12.37 hrs

At this stage, Shri B.B. Patil and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123(2) (a) of the Constitution:-

(1) The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinance, 2014 (No. 1 of 2014) promulgated by the President on 4th March, 2014;

[Placed in Library. See No. LT 09/16/14]

(2) The Securities Laws (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 2 of 2014) promulgated by the President on 28th March, 2014;

[Placed in Library. See No. LT 10/16/14]

(3) The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 3 of 2014) promulgated by the President on 28th May, 2014; and

[Placed in Library. See No. LT 11/16/14]

(4) The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 4 of 2014) promulgated by the President on 29th May, 2014.

[Placed in Library. See No. LT 12/16/14]

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Secretary-General to lay the Bills.

...(Interruptions)